

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक एफ 20 ( 101 )आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2013-14/ 644-788

दिनांक 01/08/13

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय
2. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय  
कॉलेज शिक्षा राज.
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

विषय : यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत राजकीय महाविद्यालय शिक्षको को देय 40 प्रतिशत राशि के भुगतान बाबत जारी परिपत्र बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 365-492 दिनांक 15.7.2013 द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान 2006 के तहत देय 40 प्रतिशत राशि के भुगतान के आदेश जारी किये गये थे। जारी आदेशों में स्पष्ट किया जाता है कि एरियर राशि का भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 187 में उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्यवाही करावें ।

  
वित्तीय सलाहकार  
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 20 ( 101 )आभि./बजट/लेखा/आकाशि/2013-14/ 644-788 दिनांक 01/08/13

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित गहै -

- 1 प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक प.1 (3) शिक्षा -4/2009 दि. 24.6.2013 की पालना में
- 2 समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, पुरुष/महिला/जनजाति/ विधि
- 3 सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर।
- 4 कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी कालेज शिक्षा राज0 जयपुर।
- 5 महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
- 6 निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 7 श्री धीरेन्द्र देवर्षी व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वैबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

  
वित्तीय सलाहकार  
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर